

# प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अठारह'

प्रश्न सं. [क. 2578]

[ 25/7/2017 ]

(तारिखिक प्रश्न क्रमांक 2578)

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, विदिशा दृष्टि

सदन में उत्तर देने का दिनांक 25/07/2017

श्री गोवर्धन उपाय्य

पृष्ठा ११८

क्रमांक	गांव का नाम	वितरण केन्द्र का नाम	विषय	एই प्रश्नका प्रश्नांक	विभाग द्वारा की गई कार्यकारी
1	कंसी	बागरोदा	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	406 / 29.04.2016	दिनांक 30.04.2016 को 11 के द्वारा लाइन का जम्पर जोड़कर थी फेस विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
2	महुआखेड़ा पृथ्वीराज	बागरोदा	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	406 / 29.04.2016	दिनांक 02.05.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
3	काकरखेड़ी खुर्द	बागरोदा	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	406 / 29.04.2016	दिनांक 03.05.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
4	चन्दडाई	बागरोदा	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	406 / 29.04.2016	दिनांक 03.05.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
5	गोगालपुर	बागरोदा	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	771 / 21.10.2016	दिनांक 27.10.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
6	कांजीखेड़ी	बागरोदा	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	771 / 21.10.2016	दिनांक 25.10.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
7	सकलान	बागरोदा	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	02 / 01.01.2016	दिनांक 08.01.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
8	धानोदा	बागरोदा	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	771 / 21.10.2016	दिनांक 23.10.2016 को 11 के द्वारा लाइन का जम्पर जोड़कर थी फेस विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
9	भावतन्तुर	बागरोदा	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	771 / 21.10.2016	दिनांक 27.10.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
10	लिंदोडा	बागरोदा	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	771 / 21.10.2016	दिनांक 23.10.2016 को 11 के द्वारा लाइन का जम्पर जोड़कर थी फेस विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
11	मुराहिया	लटेरी	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	771 / 21.10.2016	दिनांक 25.10.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
12	मसूडी	लटेरी	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	771 / 21.10.2016	दिनांक 24.10.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
13	लसलतीसाह	लटेरी	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	771 / 21.10.2016	दिनांक 27.10.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
14	टांकरा	लटेरी	नल-जल योजना के तहत संबंधित खराबियाँ ठीक करने चाहत।	771 / 21.10.2016	दिनांक 26.10.2016 को द्रांत्सफार्मर बदलकर विद्युत सत्ताई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी लिमिटेड, विदिशा तृतीय

सदन में उत्तर देने का दिनांक 25/07/2017  
श्री गोवर्धन उपचायक

क्रमांक	गांव का नाम	वितरण केंद्र का नाम	वितरण	एई पीएचई का पत्र क्रमांक	विभाग हाथ की गई कारबाही
15	बलरामपुर	लटेरी	नल-जल योजना के तहत संबंधित व्याविधि ठीक करने वाला।	771 / 21.10.2016	दिनांक 25.10.2016 को दोस्रासार बदलकर विधुत सालाई चालू कर दी गई थी जो वर्तमान में भी चालू है।
16	भोरिया	बारोदा	डी.पी. ठीक करने वाला।	254 / 11.06.2016	दिनांक 18.06.2016 को दोस्रासार बदलकर विधुत सालाई चालू कर दी गई थी।
17	गरेठा	बारोदा	नवीन करोसन एवं डी.पी. शिपट करने हेतु।	771 / 21.10.2016	प्रायकलन स्वीकृति क्र. 21-516- 110412.15.0405 दि. 10.02.16 से स्वीकृत कर मौग-पत्र दि. 19.02.16 को जारी किया गया था। परन्तु मौग-पत्र की राशि जमा न होने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण प्रायकलन निरस्त हो गया। पुनर्वित करने हेतु पत्र क्र. 328 दि. 23.06.17 प्राप्त हुआ है, जिसको पुनः दिनांक 12.07.2017 को स्वीकृत कर मौग पत्र पी.एच.ई.
18	रामनर्थ	बारोदा	नवीन करोसन एवं डी.पी. शिपट करने हेतु।	771 / 21.10.2016	AE PHE को पत्र क्रमांक 661 / 27.10.2016 द्वारा करोसन हेतु डिमांड नोट जारी किया गया जिसकी राशि आज दिनाक तक अपार है AE PHE हाथ पत्र क्रमांक 328 / 23.06.2017 हाथ उक्त डिमांड नोट पुनर्वित करने हेतु लिखा गया है, जिसको क्रुपा दिनांक 12.07.2017 को स्वीकृत कर मौग पत्र पी.एच.ई. विभाग को जारी की गई है।
19	सरबदलपुर	बारोदा	नवीन करोसन एवं डी.पी. शिपट करने हेतु।	143 / 05.02.2016	प्रायकलन स्वीकृति क्र. 21-516- 110412.15.0403 दि. 10.02.16 से स्वीकृत कर मौग-पत्र दि. 19.02.16 को जारी किया गया था। परन्तु मौग-पत्र की राशि जमा न होने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण प्रायकलन निरस्त हो गया। पुनर्वित करने हेतु पत्र क्र. 328 दि. 23.06.17 प्राप्त हुआ है, जिसको पुनः दिनांक 12.07.2017 को स्वीकृत कर मौग पत्र पी.एच.ई.
20	कोरवासा	बारोदा	नवीन करोसन एवं डी.पी. शिपट करने हेतु।	143 / 05.02.2016	प्रायकलन स्वीकृति क्र. 21-516- 110412.15.0406 दि. 10.02.16 से स्वीकृत कर मौग-पत्र दि. 19.02.16 को जारी किया गया था। परन्तु मौग-पत्र की राशि जमा न होने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण प्रायकलन निरस्त हो गया। पुनर्वित करने हेतु पत्र क्र. 328 दि. 23.06.17 प्राप्त हुआ है, जिसको पुनः दिनांक 12.07.2017 को स्वीकृत कर मौग पत्र पी.एच.ई.
21	कोलुआ पाठर	लटेरी	नवीन करोसन एवं डी.पी. शिपट करने हेतु।	78 / 23.01.2016	पत्र क्र 78 / 23.01.2016 एवं 143 / 05.02.2016 की प्राप्ति कर मौग निरिक्षण करने पश्चात् पाया गया कि पत्रों में चूल पर गोर की स्थिति स्थित नहीं है जिस हेतु पत्र क्रमांक 1082 / 20.02.2016 हाथ AE PHE को अवातर कराया गया तात् पश्चात् AE PHE हाथ पत्र क्रमांक 529 / 20.06.2016 को तथिमिति सर्वे अनुसार प्रायकलन पर स्वीकृती दी गई। उक्त प्रायकलन समाप्ती कार्यालय वासदेवा द्वारा पत्र क्रमांक 4238 / 20.08.2016 अपतियों सहित वारपत्र जिसे AE PHE को पत्र क्रमांक 1453 / 10.09.2016 को आपतियों के निराकरण हेतु प्रेषित किया गया था। जिसे AE PHE के पत्र क्रमांक 328 / 23.06.2017 हाथ पुनर्वित कर भजने हेतु लिखा गया है, जिसको पुनः दिनांक 12.07.2017 को स्वीकृत कर मौग पत्र पी.एच.ई. विभाग को जारी की गई है।

सदन में उत्तर देने का दिनांक 25/07/2017  
श्री नारदन उपाध्याय

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, विदिशा वृत्त

क्रमांक	पाव का नाम	वितरण केंद्र का नाम	वितरण	एवं पीएचई का प्रकार	विभाग संघर्ष की गई कार्यवाही
22	सुनदेश	लोटरी	नवीन कोवेटन एवं हीमि. शिपट करने हेतु।	72 / 23.01.2016	पत्र क्र. 78 / 23.01.2016 एवं 143 / 05.02.2016 की प्रतिक्रिया करने पर नियमित विद्युत पाव भेजा गया था कि पत्रों में शब्द पर वोर की विधित रप्त नहीं है जिसे हेतु पत्र क्र. 529 / 20.02.2016 की अनुसार प्रकल्पन पर स्वीकृत था अतः विद्युत कराया गया ताकि प्रकल्पन को AE PHE द्वारा पाव क्रमांक 529 / 20.06.2016 को समीक्षित था अतः विद्युत पुनः वापस किया गया जिसे AE PHE को पत्र क्रमांक 1433 / 10.09.2016 को आपांतिक्या के नियमानुसार हेतु प्रतिक्रिया दी गयी था। जिसे AE PHE के पाव क्रमांक 328 / 23.06.2017 द्वारा पुनः प्रतिक्रिया कर भेजने हेतु नियमों पुनः दिनांक 12.07.2017 को स्वीकृत कर भार पत्र भी एवं इसके लिया गया है। नियमों को जारी की गई है।
23	उभारही कराता	लोटरी	नवीन कोवेटन एवं हीमि. शिपट करने हेतु।	529 / 20.06.2016	AE PHE द्वारा पाव क्रमांक 529 / 20.06.2016 की समीक्षित में अनुसार प्रकल्पन पर स्वीकृती दी गई। उसके प्रत्यक्षकरण संभागीय कारबाही द्वारा पाव क्रमांक 4259 / 20.08.2016 अपरिवर्त्य राखित करने थे अतः जिसे AE PHE को पत्र क्रमांक 1453 / 10.09.2016 को आपांतिक्यों के नियमानुसार हेतु प्रतिक्रिया दी गयी था। जिसे AE PHE के पाव क्रमांक 328 / 23.06.2017 द्वारा पुनः प्रतिक्रिया कर भेजने हेतु नियमों पुनः दिनांक 12.07.2017 को स्वीकृत कर भार पत्र भी एवं इसके लिया गया है।
24	दारवान	लोटरी	नवीन कोवेटन एवं हीमि. शिपट करने हेतु।	529 / 20.06.2016	AE PHE द्वारा पाव क्रमांक 529 / 20.06.2016 की समीक्षित में अनुसार प्रकल्पन पर स्वीकृती दी गई। उसके प्रत्यक्षकरण संभागीय कारबाही द्वारा पाव क्रमांक 4258 / 20.08.2016 अपरिवर्त्य राखित करने थे अतः जिसे AE PHE को पत्र क्रमांक 1453 / 10.09.2016 को आपांतिक्यों के नियमानुसार हेतु प्रतिक्रिया दी गयी था। जिसे AE PHE के पाव क्रमांक 328 / 23.06.2017 द्वारा पुनः प्रतिक्रिया कर भेजने हेतु नियमों पुनः दिनांक 12.07.2017 को स्वीकृत कर भार पत्र भी एवं इसके लिया गया है।
25	लोटरी	लोटरी	नवीन कोवेटन एवं हीमि. शिपट करने हेतु।	529 / 20.06.2016	AE PHE द्वारा पाव क्रमांक 529 / 09.02.2016 की समीक्षित में अनुसार प्रकल्पन पर स्वीकृती दी गई। उसके प्रत्यक्षकरण संभागीय कारबाही द्वारा पाव क्रमांक 4258 / 20.08.2016 अपरिवर्त्य राखित करने थे अतः जिसे AE PHE को पत्र क्रमांक 1453 / 10.09.2016 को आपांतिक्यों के नियमानुसार हेतु प्रतिक्रिया दी गयी था। जिसे AE PHE के पाव क्रमांक 328 / 23.06.2017 द्वारा पुनः प्रतिक्रिया कर भेजने हेतु नियमों पुनः दिनांक 12.07.2017 को स्वीकृत कर भार पत्र भी एवं इसके लिया गया है।
26	अवराय	लोटरी	नवीन कोवेटन एवं हीमि. शिपट करने हेतु।	143 / 05.02.2016	AE PHE को पाव क्रमांक 512 / 09.02.2016 कीसे वापर करने संहेद्रि द्वारा विद्युत नाट लाई किया गया नियमानुसार संषोधन कराया गया था। उसके अनुसार प्रकल्पन को अनुसार प्रकल्पन करने हेतु नियमों को जारी की गई है।

नोडल अधिकारी (विभाग समावेश)

म.प्र. शासन, उपाध्याय,  
अनुमान अधिकारी